संख्या : 2039/8–3–18–187 विविध/18

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
4. **उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2019**

विषयः प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की सेवाओं को आम जन मानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आम जन मानस से संबंधित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवाएं सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

2– वर्तमान में प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण कार्यालयों में वेब पोर्टल (http://janhit.upda.in) से आवास विभाग की निम्न सेवाओं की ऑनलाईन सुविधा जनसमान्य के लिए उपलब्ध हैः–

कोड संख्या	Name of service	सेवा का नाम
15101	Duplicate order request	डुप्लीकेट ऑर्डर हेतु आवेदन
15102	Refund Management	धनराशि की वापसी
15103	Online free hold	भवन भूखण्ड फ्री होल्ड करना
15104	Registration for allotment	आवंटन हेतु पंजीयन
15105	Mutation management	नामान्तरण कार्यवाही

3– उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तर 02 में इंगित आवास विभाग की ऑनलाईन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से इन्टीग्रेट कराते हुए आम जन मानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

Scanned by CamScanner

4– उक्त चयनित सेवाओं को एन0आई0सी0 की तकनीकी टीम द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर दिया गया है। अतः ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से आवास विभाग की उक्त 05 इन्टीग्रेटेड सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :–

i. उक्त सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेन्टर्स यथा–जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जन मानस को उपलब्ध कराया जायेगा।

ii. अधिकृत केन्द्रों की सूची कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे आवास विभाग की वेबसाईट पोर्टल (http://awas.up.nic.in) एवं आवस बन्धु की पोर्टल (http://awasbandhu.in) पर जन सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

iii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा ऑनलाईन माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

iv. आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवास विभाग के उक्त पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा एवं विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित फीस धनराशि को उसी वेब पोर्टल से लिंक्ड बैंक खाते में क्रेडिट किया जायेगा।

v. किसी आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण (Complete) तभी माना जायेगा जब आवास विकास के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष निर्धारित फीस की धनराशि की ई–रसीद या आवेदन की ई–रसीद जनरेट कर दी जाये।

vi. **यूजर चार्जेजः** प्रत्येक सफल ट्रान्जेक्शन पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवेदन कर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज रू0 20.00 (रू0 बीस मात्र) सभी करों सहित लिया जायेगा तथा कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा तद्संबंधी प्राप्ति रसीद आवेदन कर्ता को दी जायेगी।

vii. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

viii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से आम जन मानस को उपलब्ध करायी जाने वाली आवास विभाग की सेवाओं के सापेक्ष देय गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) अथवा कोई अन्य शुल्क का वहन कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा स्वयं किया जायेगा, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पर इसकी कोई देयता नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

ix. आवेदकों की जानकारी के लिये कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रकिया का पूर्ण विवरण, यूजर चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कॉमन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्रों (यथा–ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्टेड प्रति, भुगतान की गयी फीस की ई–रसीद, कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा रू0 20.00 की प्राप्ति रसीद) का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

5– ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को आवास विकास परिषद/प्राधिकरणो के सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रॉसेस किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रॉसेस कर रहे हैं।

6– कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

21.1.20.19

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स उ0प्र0 शासन।
7. स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड एस0ई0एम0टी0 उ0प्र0।
9. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner